प्रेस नोट - दिनांक 19.06.2025
थाना अजगैन, जनपद उन्नाव।

चैन स्नैचिंग का प्रयास करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना अजगैन पुलिस, स्वाट एवं सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा चैन स्नैचिंग का प्रयास करने वाले अभियुक्त को एक अदद अवैध तंमचा 315 बोर व दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर तथा घटना में प्रयुक्त नीले रंग की स्कूटी बरामद कर गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 18.06.2025 को थाना अजगैन पुलिस, स्वाट एवं सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा थाना अजगैन पर पंजीकृत मु0अ0सं0 232/25 धारा 309(5) BNS के घटना का सफल अनावरण करते हुए मुखबिर खास की सूचना पर दौराने रात्रि चेकिंग पक्षी बिहार रिंग रोड नवाबगंज से स्कूटी सं0 UP35AR5898 सवार अभियुक्त अनिकेत सिंह पुत्र हरिप्रकाश सिंह निवासी मो0 आजाद नगर न्योतनी थाना हसनगंज जनपद उन्नाव उम्र 32 वर्ष को गिरफ्तार किया गया तथा जामा तलाशी ली गयी तो अभि0 अनिकेत सिंह उपरोक्त के कब्जे से एक अदद अवैध तंमचा 315 बोर व दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर तथा घटना में प्रयुक्त नीले रंग की स्कूटी सं0 UP35AR5898 बरामद हुई। पूँछताछ करने पर उपरोक्त अभियुक्त द्वारा बताया कि दिनाँक 16.06.25 को समय करीब 04.30 बजे शाम को संगीत होटल के सामने कस्बा नवाबगंज में सोहरामऊ जाने वाली एक महिला के गले में पड़ी चैन को तोड़ना का प्रयास किया, जिससे चैन टूटकर वहीं गिर गयी। अभियुक्त अनिकेत मौका देखकर उन्नाव की तरफ भाग गया था। अभियोग में गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी करते हुए अभियुक्त को सम्बन्धित मा0 न्यायालय उन्नाव भेजा जा रहा है।

नाम पता अभियुक्त-

1.अनिकेत सिंह पुत्र हरिप्रकाश सिंह निवासी मो0 आजाद नगर न्योतनी थाना हसनगंज जनपद उन्नाव उम्र 32 वर्ष।

बरामदगीः

एक अदद अवैध तंमचा 315 बोर व दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर तथा घटना में प्रयुक्त नीले रंग की स्कूटी सं0 UP35AR5898 अन्तर्गत धारा 207 MV ACT (सीज)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.कार्यवाहक प्रभारी निरीक्षक श्री मो0 नईम खाँ
2.उ0नि0 श्री मुकुल कुमार दुबे
3.का0 अनूप द्विवेदी
4.का0 रोहित कुमार
5.का0 सूर्य प्रकाश
6.का0 शुभम कुमार

स्वाट टीम –

1.निरी0 श्री जेपी यादव प्रभारी स्वाट टीम
2.उ0नि0 श्री ज्ञान सिंह
3.हे0का0 सतेन्द्र कुमार
4.का0 रवी कुमार
5.का0 नितिश यादव
6.का0 गौरव कुमार
7.का0 हरेश बालियान
8.का0 यशवीर सिंह

सर्विलांस टीम-

1.उ0नि0 श्री निखिलेश कुमार प्रभारी सर्विलांस टीम
2.हे0का0 प्रशांत चौहान
3.का0 शुभम तोमर
4.का0 प्रशान्त बालियान
5.का0 अरुण कुमार
6.का0 विवेक

प्रेस नोट - दिनांक 19.06.2025

थाना बिहार, जनपद उन्नाव।

नाबालिग को बहला फसुला कर भगा ले जाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना बिहार पुलिस द्वारा नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर भगा ले जाने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 13.06.2025 को थाना बिहार पर मु0अ0सं0 203/2025 धारा 137(2)/87 बीएनएस पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 19.06.2025 को थाना बिहार पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबन्धित वांछित अभियुक्त राकेश कुमार पुत्र राजकिशोर निवासी ग्राम परसण्डा थाना बिहार जनपद उन्नाव उम्र करीब 28 वर्ष को मलौना तिराहे से गिरफ्तार किया गया।

नाम पता अभियुक्त-

1. राकेश कुमार पुत्र राजकिशोर निवासी ग्राम परसण्डा थाना बिहार जनपद उन्नाव उम्र करीब 28 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 बीरेन्द्र सिंह थाना बिहार उन्नाव।

2.हे0का0 संजय कुमार थाना बिहार उन्नाव।

प्रेस नोट - दिनांक 19.06.2025

थाना आसीवन, जनपद उन्नाव।

पुलिस को झूठी सूचना देने वाला अभियुक्त अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना आसीवन पुलिस द्वारा झूठी सूचना देने वाले अभियुक्त को एक अदद तमंचा व 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद कर गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 18.06.2025 को डायल 112 पर कालर रामनरेश पुत्र स्व0 रूपन पासी नि0 ग्राम अच्छेपुर किरमिली थाना आसीवन जनपद उन्नाव द्वारा सूचना दी गयी कि वह अपने आम के बाग की रखवाली कर रहा था तभी दो अज्ञात व्यक्ति द्वारा आकर उसके ऊपर फायरिंग कर देने जिससे उनकी बायी टांग में फायर लग जाने की दी गयी सूचना प्रभारी निरीक्षक महोदय को भी प्राप्त हुई । उक्त घटना की सत्यता की जांच हेतु उ0नि0 जयप्रकाश यादव मय हमराही का0 पिन्टू वर्मा व का0 रितेश पटेल के थाना हाजा से रवाना होकर प्रभारी निरीक्षक महोदय के आदेश के अनुपालन में सीएचसी हसनगंज जनपद उन्नाव गये तो सीएचसी हसनगंज परिसर में प्रभारी निरीक्षक महोदय को सूचना देने वाला व्यक्ति रामनरेश उपरोक्त अपने बेटे कृष्ण पाल के साथ घायल अवस्था में मिला जिससे नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम रामनरेश पुत्र स्व0 रूपन पासी नि0 ग्राम अच्छेपुर किरमिली थाना आसीवन जनपद उन्नाव उम्र करीब 63 वर्ष बताया । जिससे डायल 112 पर पुलिस को दी गयी सूचना के सम्बन्ध में पूछताछ की गयी तो पहले रामनरेश उपरोक्त द्वारा बताया गया कि मैं अपने आम के बाग की रखवाली करता हूँ जब मै कल रात में चारपाई पर लेटा था तभी दो अज्ञात व्यक्ति आये और मेरे ऊपर फायरिंग कर दिये जिससे मेरी बायी टांग में फायर लग गया था जिसकी सूचना मैने अपने बेटे कृष्ण पाल को दी जिस पर कुछ समय बाद ही कृष्ण पाल आ गया और इलाज कराने हेतु मैं अपने बेटे कृष्णपाल के साथ अंशिका अस्पताल मियागंज पहुँचा और डाक्टर साहब को बताया कि मुझे बाग में लगे तार से चोट आ गयी है तो डाक्टर ने प्राथमिक उपचार के दौरान जैसे ही देखा कि मुझे फायर की चोट है तो उन्होंने अपने अस्पताल में इलाज करने से मना कर दिया। तो मैं यहाँ से लखनऊ गया और नोवा अस्पताल बालागंज चौराहा लखनऊ में इलाज कराया परन्तु नोवा हस्पिटल में अच्छा इलाज न होने के कारण जब मैने बेहतर इलाज हेतु रेफर करने के लिए कहा तो नोवा अस्पताल के डाक्टर ने मना कर दिया तो मैंने अपने आप से लखनऊ में अन्य कई अस्पतालों में इलाज कराने का प्रयास किया परन्तु किसी ने इलाज नहीं किया तो मैने सरकारी अस्पताल सीएचसी हसनगंज वापस आकर इलाज कराने का प्रयास किया तो वहाँ भी डाक्टर साहब ने चोट को देखकर गोली लगने के कारण आयी चोट के कारण इलाज करने से मना कर दिया तो मैने डायल 112 पुलिस को अपने साथ हुई घटना के सम्बन्ध में उक्त सूचना दी थी। परन्तु पूछताछ के

दौरान घटना संदिग्ध प्रतीत होने पर हिकमत अमली व कड़ाई से पूछा गया तो माफी मांगते हुए बताया कि साहब मै अपनी बाग की रखवाली के दौरान अपनी सुरक्षा के लिए तमंचा व कारतूस 12 बोर का रखता हूँ जिसे मै रात के समय लोड कर लेता हूँ और मै कल रात में जब तमंचा लोड कर रहा था तभी अचानक फायर हो गया जिससे मेरे बाये पैर के घुटने के पास गोली लग गयी थी। परन्तु अपने आपको इस अपराध से बचाने हेतु मैंने डायल 112 पर पुलिस को उपरोक्त झूठी सूचना दी थी जिस पर उ0नि0 जयप्रकाश द्वारा कालर से तमंचा एवं खोखा कारतूस के सम्बन्ध में पूछा गया तो उसने बताया कि साहब मैने उस समय तमंचा व जिन्दा कारतूस को फकीरे बाबा के बाग के किनारे झाड़ी में छुपा दिया हैं तथा खोखा कारतूस को मैने बाग की झाड़ियों में ही कही फेंक दिया है जिसके सम्बन्ध में मुझे ठीक से याद नहीं है परन्तु तमंचा व दो कारतूस चलकर बरामद करा सकता हूँ। मजरुब रामनरेश स्वयं चलने में अमसर्थता के कारण अपने पुत्र कृष्णपाल से फकीरे बाबा की झाड़ी की तरफ इशारा करके बताया। इस पर मजरूब के पुत्र कृष्ण पाल द्वारा झाडियों में से छिपाया हुआ एक अदद तमंचा व 2 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर ढूढ कर निकालकर दिया। मजरुब रामनरेश से कारतूस व तमंचा के सम्बन्ध में पूछा गया तो कोई सन्तोष जनक उत्तर नहीं दे सका एवं माफी मांगने लगा अभियुक्त का यह कृत्य जुर्म धारा 229/238 बीएनस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट का दण्डनीय अपराध है अतः अभियुक्त रामनरेश उपरोक्त को उसके जुर्म से अवगत कराकर समय 20.10 PM पर हिरासत पुलिस में लिया गया। अभियुक्त द्वारा झूठी सूचना देने व नाजायत तमंचा व कारतूस रखने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 197/2024 धारा 229/238 बीएनस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट का पंजीकृत किया गया। चूकि अभियुक्त चुटहिल अवस्था में है को इलाज हेतु सीएचसी मियागंज भेजा गया जहाँ से डाक्टर द्वारा जिला अस्पताल उन्नाव रेफर कर दिया गया जहाँ अभियुक्त रामनरेश उपरोक्त का इलाज चल रहा है। विधिक कार्यवाही करते हुये अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लेने हेतु अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता अभियुक्त-

1. रामनरेश पुत्र स्व0 रूपन पासी नि0 ग्राम अच्छेपुर किरमिली थाना आसीवन जनपद उन्नाव उम्र करीब 63 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

1. 01 अदद तमंचा 12 बोर
2. 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 जयप्रकाश यादव

2.कां0 पिन्टू वर्मा

3.कां0 रितेश पटेल

प्रेस नोट - दिनांक 19.06.2025

थाना बेहटा मुजावर, जनपद उन्नाव।

दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना बेहटा मुजावर पुलिस द्वारा दुष्कर्म के आभियोग मे वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 06.06.2025 को वादी द्वारा तहरीरी सूचना दी गयी की उसकी बहन उम्र करीब 22 वर्ष को दिनांक 05.06.2025 को करीब 11 बजे दिन में जो शिवा पाण्डे नि0 बिल्हौर जनपद कानपुर नगर ने घर से बहला फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया है हम लोगों ने काफी तलाश किया परन्तु कुछ पता नहीं चला है। सूचना के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 147/2025 धारा 87 B.N.S. का पंजीकृत होकर विवेचना उ0नि0 जितेन्द्र सिंह द्वारा सम्पादित की जा रही है। दौरान विवेचना मुकदमें से सम्बन्धित अपहृता को बरामद किया गया। मुकदमा उपरोक्त की साक्ष्य संकलन की कार्यवाही के क्रम में धारा 64(1) बी0एन0एस0 की बढ़ोत्तरी की गयी तथा अभियुक्त शिवा पाण्डेय उम्र करीब 22 वर्ष को मुखबिर की सूचना पर संडीला अंडरपास के पास से आज दिनांक 19.06.2025 को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही करते हुये अभिरक्षा हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

नाम पता अभियुक्त-

1. शिवा पुत्र शिवकान्त त्रिवेदी निवासी ग्राम बछना थाना बिल्हौर जनपद कानपुर नगर उम्र करीब 22 वर्ष ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 जितेन्द्र सिंह

2.हे0का0 जितेन्द्र गौतम